

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 07/7/2017

संख्या-2/कोर्ट-04/16-

/स्वा० स्व० डा० ईश्वर लाल भूतपूर्व बीमा

चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय पटना सिटी के दिनांक-1.12.1994 से 12.04.2000 तक प्रभार रहित अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग के पत्रांक-73(2) दिनांक-22.1.15 द्वारा प्रतिवेदित अवकाश आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में निम्नरूप से स्वीकृत किया जाता है:-

- (i) दिनांक-1.12.1994 से 29.4.1995 तक - कुल-150 (एक सौ पचास) दिनों का उपार्जित अवकाश ।
- (ii) दिनांक-30.4.95 से 12.8.1995 तक - कुल-105 (एक सौ पाँच) दिनों का अर्द्धवैतनिक अवकाश ।
- (iii) दिनांक-30.8.95 से 12.4.2000 तक - असाधारण अवकाश

2. उपर्युक्त प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह० / -

(रवीन्द्र यादव)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/कोर्ट-04/16- 585(2)

पटना, दिनांक 07/7/2017

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/अवर सचिव वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/स्थायी समुपदेशक सं०-17 उच्च न्यायालय पटना को समादेश याचिका संख्या-2189/2016 (प्रीता लाल बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) के प्रसंग में/श्रीमती प्रीता लाल पत्नी स्व० ईश्वर लाल भूतपूर्व चिकित्सा पदाधिकारी, मो०-चौक शिकारपुर पो०बेगमपुर, पटना सिटी, जिला-पटना/आई०टी०मैनेजर स्वास्थ्य विभाग के वेबसाइट पर अप लोड करने हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव